

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित थानों का विवरण
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली।	थाना कोतवाली चन्दौली, कोतवाली मुगलसराय, थाना सैयदराजा से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित फौजदारी वाद, धारा—302, 304, 304—बी, 396, 409 भारतीय दण्ड सहिता, नगर पालिका परिषद अपील, कारखाना अधिनियम, संहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से सम्बन्धित एवं अन्य मोटर वाहन अधिनियम के चालानी प्रकरण, जनपद चन्दौली के सभी सर्कुलर के आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसायटी के आपराधिक वाद, वाह्य न्यायालय चकिया के क्षेत्राधिकार में आने वाले थानों के अतिरिक्त समस्त थानों से सम्बन्धित सिनेमा एक्ट से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद, बाट माप से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद, शॉप एक्ट से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद, धारा—3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी थानों से सम्बन्धित पुलिस निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित वाद एवं परिवाद, वन अधिनियम से सम्बन्धित वाद एवं परिवाद एवं इसके अतिरिक्त उन सभी आपराधिक वाद जिनकी क्षेत्राधिकारिता विशिष्ट रूप से किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
2.	सिविल जज (सी.डि.)/एफ टी.सी., चन्दौली।	थाना कोतवाली मुगलसराय, अलीनगर, सैयदराजा एवं चन्दौली से सम्बन्धित समस्त परिवाद मामले।
3.	सिविल जज (जू.डि.) चन्दौली।	महिला थाना से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा परिवाद मामले तथा थाना कन्दवा से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा परिवाद मामले।
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली।	थाना कोतवाली अलीनगर से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा थाना धीना, धानापुर एवं सकलडीहा से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा परिवाद मामले।
5.	सिविल जज (जू.डि.)/एफ टी.सी.—।, चन्दौली।	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय) से सम्बन्धित समस्त मामले एवं थाना बलुआ से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा परिवाद मामले।
6.	वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली।	थाना कोतवाली चकिया, थाना—इलिया, थाना—चकरघट्टा से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा परिवाद मामले एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार के मामले (मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय)
7.	वाह्य न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली।	थाना बबुरी, शहाबगंज, नौगढ़ से सम्बन्धित पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले तथा परिवाद मामले।